

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District and Sessions Court, Bilaspur, presided over by Hon'ble by Smt. Anita Jha, District and Sessions Judge, Bilaspur as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Chattisgarh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2158(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Additional District and Sessions Judge-I, Patna as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Bihar.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2159(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त

उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Shimla as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Himachal Pradesh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2160(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय डॉ. सोनम वांग्डी लेप्चा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष डिवीजन-1), गंगटोक को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण सिक्किम राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District and Session Court (Special Division-I) at Gangtok, presided over by Hon'ble by Dr. Sonam Wangdi Lepcha, District and Sessions Judge, as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Himachal Pradesh.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1553(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, कर्नाटक राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री सी. एच. जाधव, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1553(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints **Shri C. H. Jadhav, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Karnataka.**

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1554(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, मध्य प्रदेश राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री सुभाष भट्टाचार्य, अधिवक्ता, श्री दीपेश जोशी, अधिवक्ता, श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता तथा श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1554(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints **Shri Subhash Bhattacharya, Advocate, Shri Deepesh Joshi, Advocate, Shri Ajay Gupta, Advocate and Shri Shashank Shekhar, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Madhya Pradesh.**

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1555(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, पंजाब राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री हरदीप सिंह ओबराय, अधिवक्ता, श्री विनय झिंगन, अधिवक्ता तथा श्री सुखदीप सिंह संधु, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1555(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints **Shri Hardip Singh Oberoi, Advocate, Shri Vinay Jhingan, Advocate and Shri Sukhdeep Singh Sandhu, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Punjab.**

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2780(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, शिमला को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2159(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, हिमाचल प्रदेश, शिमला उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री पियार सिंह राणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री पियार सिंह राणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2780(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Shimla, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Himachal Pradesh vide notification number S. O. 2159(E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, has recommended the name of Sri Piar Singh Rana, District and Sessions Judge, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Piar Singh Rana, District & Sessions Judge as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2781(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, कवरती को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2156(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री पुत्तेकदन उबेद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोडे के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री पुत्तेकदन उबेद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोडे को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2781(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the District Court, Kavarati as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Lakshadweep vide notification number S. O. 2156(E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Kerala has recommended the name of Sri Puttekadan Ubaid, District and Sessions Judge, Kozhikode to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Puttekadan Ubaid, District & Sessions Judge, Kozhikode as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.